न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 33/2026
ऑनलाईन नम्बर 2026/73
निर्णय दिनांक: 06.05.2026

शान्तिदेवी पत्नि उम्मेदसिंह जाति जाट निवासी आडसर पुरोहितान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर, राजस्थान

—प्रार्थिनी—

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान , जरिये तहसीलदार राजस्व , श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

—अप्रार्थी—

उपस्थितिः—

1. श्री मदनगोपाल स्वामी अभिभाषक प्रार्थिनी।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थिनी की ओर से प्रार्थना—पत्र निम्नलिखित आधारो पर प्रस्तुत हैं कि प्रार्थिनी ग्राम आडसर पुरोहितान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर की स्थायी निवासिनी हैं। प्रार्थिनी की एकल खातेदारी का खेत खाता नम्बर 359 खसरा नम्बर 646/637 क्षेत्रफल 0.1600 हैक्टेयर रोही ग्राम आडसर पुरोहितान तहसील श्रीडूंगरगढ में स्थित हैं। वादगत खेत के पुराने खसरा नम्बर 99 मिन क्षेत्रफल 14 बीघा 7 बिस्वां थे जिसमें से प्रार्थिनी ने 0.16 हैक्टेयर कृषि भूमि पूर्व खातेदार भंवरसिंह वल्द हिम्मत सिंह कौम पुरोहित साकिन आडसर से खरीद की थी। खेत खसरा नम्बर पुराने 99 मिन के नये खसरा नम्बर 57 क्षेत्रफल 3.6300 हैक्टेयर कायम किये गये एवं अन्य खातेदारों को भूमि विक्रय करने पर खसरा नम्बर 57 की शेष भूमि के खसरा नम्बर 637/57 कायम किये गये एवं प्रार्थिनी के खरीदशुदा हिस्सा के नये खसरा नम्बर 646/637 क्षेत्रफल 0.1600 हैक्टेयर कायम किये गये जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज चले आ रहे है। प्रार्थिनी की खरीदशुदा कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में नामान्तरण संख्या 953 दिनांक 20.03.2007 को स्वीकृत किया गया एवं उक्त नामान्तरण में प्रार्थिनी की जाति सही रूप से "जाट" अंकित की गयी परन्तू उक्त नामान्तरण के अनुसार सम्वत् 2063 की जमाबन्दी में प्रार्थिनी का नाम दर्ज किया तब लिपिकिय त्रुटिवश प्रार्थिनी की जाति जाट से पुरोहित दर्ज कर दी गयी जबकि जमाबंदी में प्रार्थिनी की जाति "जाट" दर्ज की जानी थी। वादगत खेत के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिनी की जाति अशुद्ध दर्ज होने से प्रार्थिनी को अपने खातेदारी अधिकारों का उपयोग करने में परेशानी हो रही है। प्रार्थिनी अनवानी प्रार्थना पत्र के माध्यम से वादगत खेत के राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपनी गलत जाति "पुरोहित" की जगह सही जाति "जाट" दर्ज करवाना चाहती है। प्रार्थिनी वादगत कृषि भूमि की रिकार्डेड खातेदार होने से राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने की अधिकारी हैं। प्रार्थिनी को वादगत खेत के राजस्व रिकार्ड में हुई इस अशुद्धि का पता चला तो प्रार्थिनी ने राजस्व रिकार्ड की नकले प्राप्त की और दिनांक 23.01.2026 को अप्रार्थी से राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने हेतू निवेदन किया तो अप्रार्थी ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर की कार्यवाही बताते हुए सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना राजस्व रिकार्ड में हुई इस अशुद्धि को शुद्ध दर्ज करने से इन्कार कर दिया। अप्रार्थी द्वारा किये गये इन्कार के कारण प्रार्थिनी को अप्रार्थी के विरूद्ध वादहेतू प्राप्त है एवं वादगत खेत की रिकार्डेड खातेदार कृषक होने से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का आधार प्राप्त हैं । वादगत खेत गांव आडसर पुरोहितान तहसील श्रीडूंगरगढ़ की रोही में

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

स्थित हैं इसलिए प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है। प्रार्थना पत्र हर प्रकार से अन्दर मियांद एवं पूर्ण कोर्ट फिस पर प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान जी से निवेदन हैं कि प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादगत खेत खसरा नमब्र 646/637 क्षेत्रफल 0.1600 हैक्टेयर रोही ग्राम आडसर पुरोहितान तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिनी की अशुद्ध दर्ज जाति "पुरोहित" की जगह सही जाति "जाट" दर्ज करने का आदेश अप्रार्थी को प्रदान किया जावें। श्रीमान् जी कि अति कृपा होगी ।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी स्टेट को जरिये नोटिस तलब किया गया। स्टेट की ओर से पैरोकारराज द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में स्टेट को प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नम्बर 646/637 क्षेत्रफल 0.1600 हैक्टेयर रोही ग्राम आडसर पुरोहितान तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थिनी की जाति "पुरोहित" के स्थान पर "जाट" दर्ज करके राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 06.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)